बाह्य परिपत्र सं. 209 / डॉस-39 / 2023 6 अक्टूबर 2023

संदर्भ सं. राबैं. डॉस. पोल. प्रका. /1963 / जे- 1/ 2023-24

प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/महोदय

संशोधित साइबर सुरक्षा ढाँचे हेतु भेद्यता सूचकांक (वीआईसीएस) विवरणी का प्रकाशन

कृपया दिनांक 06 फरवरी 2020 का हमारा परिपत्र संख्या राबैं.डॉस.नीति./3182/जे-1/2019-20 देखें, जिसमें बैंकों को उनकी डिजिटल सामर्थ्य और भुगतान प्रणाली परिदृश्य से अंतर्संबंध के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया था और सूचित किया गया था कि बैंक के भीतर साइबर सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करने के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क (वीआईसीएस) हेतु भेद्यता सूचकांक का उपयोग एक मार्गदर्शी साधन के रूप में किया जाए. इसके अतिरिक्त, बैंकों को छमाही आधार पर नाबार्ड को वीआईसीएस विवरणी प्रस्तुत करने के लिए भी सूचित किया गया था.

2. वीआईसीएस विवरणी की समीक्षा करने पर, प्रौद्योगिकी की प्रगति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इसके अंगीकरण में वृद्धि और इस अवधि के दौरान भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा जारी किए गए विभिन्न संबंधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, वीआईसीएस विवरणी को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.

3. इस विवरणी को छमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाना है और इसकी नियत तिथि अर्ध-वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पंद्रह (15) दिन अर्थात् 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर होगी. सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित विवरणी को एन्श्योर पोर्टल के माध्यम से निरंतर आधार पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

4. इस विवरणी के आधार पर, पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) जेनरेट किए जाएंगे और गैर-अनुपालन के क्षेत्रों, चिंता के मुद्दों आदि को इंगित करते हुए बैंकों को भेजे जाएंगे ताकि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को चेतावनी संकेतों की प्राप्ति पर तुरंत आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके. इन चेतावनी संकेतों का अनुपालन ईडब्ल्यूएस की प्राप्ति के तुरंत बाद आयोजित होने वाली बैठक में निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाए. पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) द्वारा चेतावनी संकेतों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन रिपोर्ट नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेशक मंडल की बैठक की तिथि से पंद्रह (15) दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए.

5. बैंक वीआईसीएस विवरणी को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख और बैंक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था करें ताकि शीर्ष प्रबंधन साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा कर सके.

6. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें.

भवदीय

ह)/-

(सुधीर के रॉय)

मुख्य महाप्रबंधक